न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 06/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00043

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. राजेश पंवार पुत्र मिठालाल जाति मालवीय निवासी राम नगर मोहल्ला नाथो की समाधी के पास मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन 2. कानसिंह पुत्र स्व. बाबुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सिनला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. तीजा पत्नी स्व. ढगलाराम जाति सीरवी निवासी हेमलियाबास खुर्द, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।
2. अप्रार्थीया संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 3 दिनांक 25.08.1986 संकल्प संख्या 10 दिनांक 10.10.1986 व उसकी पालना में रूपाराम पुत्र गुमनाराम जाति सिरवी के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम हेमलियाबास खुर्द तहसील मारवाड जंक्शन में प्रार्थी संख्या 1 का खरीदसुदा, पट्टासुदा एक भुखण्ड स्थित है जिसके पडौस उत्तर दिशा में श्रवणसिंह का थाला, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में गली तथा पश्चिम दिशा में जमाल खा का थाला है। उक्त भुखण्ड बाउन्ड्रीसुदा है जिसमें निर्माण सामग्री पडी है तथा निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से इजाजत ले रखी है। प्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भुखण्ड प्रार्थी संख्या 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.04.2019 से क्रय किया था, जिसका पट्टा प्रार्थी संख्या 2 के पिता बाबुसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.10.1986 को जरिये निलामी जारी किया गया था जिस पर वर्तमान में केवल प्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा है। उक्त निर्माण स्वीकृति पर अप्रार्थी संख्या 1 ने श्रीमान सिविल न्यायाधीश मारवाड जंक्शन में समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया जिसमें उक्त भूखण्ड अपने ससुरजी रूपाराम पुत्र गुमनाराम के नाम जारी होना बाताया है। साथ ही

अति. जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

पुलिस थाना मारवाड जंक्शन में एफ.आई.आर. भी दर्ज की गयी जो अनुसंधान में अदम वकु झुठ मानकर श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट मारवाड जंक्शन के समक्ष एफ.आर पेश की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 के पति का उक्त भूखण्ड पर कोई कब्जा नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो पट्टा, मिसल संख्या 3 दिनांक 02.01.1985 प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 25.08.1986 की पालना में दिनांक 10.10.1986 को जारी होना बताया है वह कभी भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा न ही इस पट्टे में कोई पट्टा नम्बर दर्ज है। चुकि पट्टा धार रूपारम की मृत्यु होने एवं उसके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी ढगलाराम की भी मृत्यु होने से अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर को जारी पट्टे की भूमि कहा स्थित है ऐसा कोई इन्द्राज पट्टे में नहीं किया हुआ है एवं पट्टे का नाप 20 बाई 20 को होना बताया है जो कि मौके पर उपलब्ध नहीं है। जब ग्राम पंचायत ने प्रार्थी संख्या 2 के पिता के पक्ष में जैर आराजी का पट्टा जारी कर दिया तो ग्राम पंचायत उसी आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी कर सकते है। बाबुसिंह को जारी पट्टे के पश्चिम दिशा में पडौसी जमाल खा है तथा जमाल खा के पट्टे की पूर्व दिशा में बाबुसिंह का थाला अंकित है जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी संख्या 2 का मालिकाना हक कभी भी नहीं रहा है और न ही उनके पक्ष में पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। प्रार्थी संख्या 2 के पिता के पक्ष में जारी पट्टे की तिथि पर न तो पंचायत में कोई बैठक हुई और न ही कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही पट्टे पर सचिव अथवा गवाह के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी एन.ओ.सी. की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 21.08.2019 को आपत्ति प्रस्तुत कर दी। साथ ही प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने से गलत तीरके से एफआर अदम वकू में पेश की गयी है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 के ससूर रूपाराम के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच के हस्ताक्षरों से जारीशुदा व सीलशुदा है, जिसकी सत्यता में सदेंह नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियम 266 के तहत वर्ष 1985 में विधिक रूप से जारी किया गया। साथ ही प्रार्थी संख्या 2 के पिता को पट्टा 06.10.1986 को जारी किया गया जबकि रूपाराम को जारी पट्टे का प्रस्ताव दिनांक 25.08.1986 को लिया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 2 के पिता का पट्टा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है। अतः जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 3 दिनांक 25.08.1986 संकल्प संख्या 10 दिनांक 10.10.1986 व उसकी पालना में रूपाराम पुत्र गुमनाराम जाति सिरवी के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टे के पडौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में प. का थाला, उत्तर दिशा में श्रवणसिंह का थाला तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित है, जिसका क्षेत्रफल

अति. जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

20 गज बाई 20 गज अर्थात् 40 फुट बाई 40 फुट है। पत्रावली के संलग्न जैर आराजी भूखण्ड का एक अन्य पट्टा जो ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा बाबुसिंह पुत्र लालसिंह के पक्ष में दिनांक 06.10.1986 को जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 25 गज बाई 20 गज अर्थात् 50 फुट बाई 40 फुट है जिसकी चतुर्दशी पूर्व दिशा में गली, पश्चिम दिशा में जमाल खां, उत्तर दिशा में श्रवणसिंह का थाला तथा दक्षिण दिशा में गली है, जिसे प्रार्थी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.04.2019 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 से क्रय किया था।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश मारवाड जंक्शन के वाद संख्या 63/2019 में जैर आराजी के सम्बन्ध में नियुक्त मौका कमिश्नर की कमिश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार जैर आराजी भूखण्ड 50 फुट बाई 40.8 फुट का है। जिसके उत्तर दिशा में खाली प्लॉट है जिसमें सरीया बजरी पत्थर आदि है, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में आम रास्ता तथा पश्चिम दिशा में जमाल खा का पुरानी बाउण्ड्री सुदा प्लॉट आया हुआ है। उक्त प्लॉट के अन्दर एक पानी का हौद बना हुआ है, जिसमें कुछ पानी है व कुछ खण्डे भी पडे है। जिससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में अंकित भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी संख्या 2 के पिता के पक्ष में दिनांक 06.10.1986 को जारी किया गया था। साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट अंकित तथ्य अधिवक्ता प्रार्थी के कथनो का भी समर्थन करती है। लिहाजा रूपाराम के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा दिनांक 10.10.1986 में अंकित भूखण्ड का क्षेत्रफल मौका रिपोर्ट से भिन्न होने से प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध प्रतीत होता है।

ग्राम पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.2019 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 को जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2019 के द्वारा राजेश पंवार को रजिस्ट्री सुदा प्लॉट जिस पर मकान बना हुआ है में नल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन एवं गटर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जैर आराजी भूखण्ड पर प्रार्थी का ही कब्जा है और उसका मकान बना हुआ है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक अन्य पट्टा जो जमाल खां के पक्ष में दिनांक 05.06.1982 को निष्पादित किया गया था, में अंकित पडौस अनुसार पूर्व दिशा में बाबुसिंह का थाला स्थित है। जैर निगरानी पट्टा जो रूपाराम के पक्ष में दिनांक 10.10.1986 को जारी किया गया है कि चतुर्दशी में कही पर भी जमाल खां अंकित नहीं है जबकि जैर आराजी भूखण्ड का पट्टा जो बाबुसिंह के पक्ष में दिनांक 06.10.1986 को जारी किया गया है, में पश्चिम दिशा में जमाल खां अंकित है। यदि जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा रूपाराम के पक्ष में जारी हुआ होता तो पश्चावर्ती जमाल खां के पक्ष में जारी पट्टे की पूर्व दिशा में रूपाराम का नाम अंकित होता, परन्तु ऐसा नहीं है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे पर ही विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा रूपाराम पुत्र गुमनाराम के पक्ष में जारी कर दिया, जो अवैध होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी भूखण्ड का क्षेत्रफल 50 फुट बाई 40.8 फुट है तथा इसके पडौस में पश्चिम दिशा में जमाल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

खा का पुरानी बाउण्ड्री सुदा प्लॉट आया है जबकि जैर निगरानी पट्टा का क्षेत्रफल एवं उसमें अंकित पडौस, मौका रिपोर्ट से भिन्न है बल्कि जैर निगरानी भूखण्ड का बाबूसिंह के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 06.10.1986 में अंकित क्षेत्रफल व पडौस मौका रिपोर्ट के समान है। साथ ही जमाल खां के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 05.06.1982 के पूर्व दिशा में भी जैर निगरानी पट्टाधारक रूपाराम का नाम अंकित न होकर बाबूसिंह का नाम अंकित है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 3 दिनांक 25.08.1986 संकल्प संख्या 10 दिनांक 10.10.1986 व उसकी पालना में रूपाराम पुत्र गुमनाराम जाति सिरवी के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को माफिक पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner